HRA En USIUS The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1540

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2012/श्रावण 25, 1934

No. 1540.

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2012/SHRAVANA 25, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2012

का,आ. 1850(अ). केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2551(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

 प्रारंभिक पैरा में, क्रम सं. 3 के सामने की प्रविष्टि में "डा. सी. एस. भट्ट" शब्दों के स्थान पर "सदस्य-सचिव" शब्द रखे जाएंगे ।

> [फा. सं. जे-11013/43/2007-आईए-II(1)] राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2012

S.O. 1850(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests published in the Part II, Section 3, Sub-section (ii) Gazette of India, number S.O. 2551(E), dated the 12th October, 2010, namely:—

2. In the opening paragraph, in the entry against serial number 3, for the words "Dr. C. S. Bhatt" the words "Member-Secretary" shall be substituted.

[F. No. J-11013/43/2007-IA. II (I)]
RAJIV GAUBA, Jt. Secy.